न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

बयान–

भगवान सिंह बनाम बबीता

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 08 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील मौ0 आदिल उपस्थित। बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभय पक्ष द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0अधिनियम में अंकित प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों एंव जवाब प्रा0 पत्र को ही दोहराया गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की कय शुदा कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 1564 रकबा 0.8200 है0 ख0नं0 1668 रकबा 1.3300 है0 कुल रकबा 2.1500 है0 ग्राम श्यामपुरा प0ह0 श्यामपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र रैवासा तहसील दांतारामगढ़, सीकर में अवस्थित है, जिसके बाबत प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे काश्त के अनुसार बाहमी बंटवारे अनुसार नींव–सींव कायम करने हेतु वाद पत्र बाबत बंटवारा पेश करने पर अप्रार्थी सं0 1 द्वारा कोई आपत्ति नहीं करने पर वाद में प्राथमिक डिकी की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा वाद बाबत बंटवारा,स्थायी निषेधाज्ञा का पेश होने पर उभय पक्ष की सहमति के आधार पर वाद में प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव चाहे गये है। वाद में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अंतिम डिकी की जारी की जाकर वाद का अंतिम निस्तारण किया जाना है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि कृषि भूमि ख0नं0 1564 रकबा 0.8200 है0 ख0नं0 1668 रकबा 1.3300 है0 कुल रकबा 2.1500 है0 ग्राम श्यामपुरा प0ह0 श्यामपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र रैवासा तहसील दांतारामगढ़, सीकर में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	

Scanned with CamScanner